राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 18(25)नविवि / सामन्य / 2014 जयपुर, दिनांक :– 6 NOV 2018

आदेश

ले–आउट प्लान / भवन निर्माण स्वीकृति के संबंध मे जारी विभागीय पत्र क्रमांक प.2(3)नविवि / चित्तौडगढ / 2017 दिनांक 16.08.2017 एवं विभागीय पत्र क्रमांक प. 2(37)नविवि / नियम / 2017 दिनांक 12.09.2017 के द्वारा अध्यक्ष, अजमेर / जोधपुर विकास प्राधिकरण / नगर विकास न्यास को भवन मानचित्र समिति / ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठको की अध्यक्षता हेतु अधिकृत किया गया था। उक्त आदेशो को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहारित किया जाता है।

आदर्श आचार सहिंता के प्रभाव मे रहते अनुमत कार्यों यथा ले–आउट प्लान / भवन निर्माण स्वीकृति के प्रकरणो को त्वरित गति देने की दृष्टि से राज्य सरकार के सक्षम स्तर से लिये गये निर्णयानुसार आयुक्त, अजमेर / जोधपुर विकास प्राधिकरण तथा सचिव, नगर विकास न्यास को भवन मानचित्र समिति / ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठको की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Sd

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
4. सचिव, जोधपुर / अजमेर विकास प्राधिकरण, जोधपुर / अजमेर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
7. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
8. रक्षित पत्रावली।

6/11/18

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम